कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2022–23 दिनांक : 14/04/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक,
बीकानेर / उदयपुर / जालौर / सीकर।

विषय : 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं 02 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।
प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6)शिक्षा–1 / 2022 जयपुर, दिनांक 13.04.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022–23 के बिन्दू संख्या 25 एवं 28(iv) की अनुपालना में 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 02 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति अग्रांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

S. No.	District	Block	UDISE	Name of School
1	Bikaner	Nokha	08030402908	GGSS Mainsar
2	Udaipur	Bhinder	08260429301	GGSS Surajpole NP Bhinder Ward No. 7
3	Jalore	Jaswantpura	08180702001	GSS Munthla Kaba
4	Sikar	Piprali	08130500204	GSS Ghdeliyon Ki Dhani Ghadel Nagar

यह स्वीकृति वित (व्यय–1) विभाग की आईडी संख्या 102202030 दिनांक 12.04.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तेः–

1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022–23 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. उक्त विद्यालयों में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जावे तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावें।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
6. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, पंचायत समिति, जिला व यू–डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।

14/4
(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

7. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–एबी/सी/संस्थापन–एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ–1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते